न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करूणा लाड़ोती (आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 98/2024 **दर्ज दिनांक 09.10.2024**

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :— 2024/241

अन्तर्गत धारा :— 53, 188 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. घासीराम पिता हजारी जाट निवासी माण्ड का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. उदयराम पिता लेहरू जाट निवासी माण्ड का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. इन्द्रादेवी पुत्री रामलाल जाट निवासी माण्ड का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. उदी पुत्री लेहरू जाट निवासी माण्ड का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गीता पुत्री लेहरू जाट निवासी माण्ड का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. देवीलाल पुत्र रामलाल जाट निवासी माण्ड का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. नानी पुत्री लेहरू जाट निवासी माण्ड का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. शंकरी पत्नि रामलाल जाट निवासी माण्ड का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. ग्राम सेवा सहकारी समिति जरिये व्यवस्थापक मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

:: अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::

(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत्)

उपस्थित

1. अमरसिंह चारण – अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 एक्पक्षीय

:: निर्णय ::

दिनांकः— 22/12/25

1. संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 07.04.2025 के द्वारा वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया है कि राजस्व ग्राम मोखुन्दा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त के खाता संख्या 32 में अंकित आराजी संख्या 63 रकबा 11.33 है0 भूमि में वादी का 1/4 हिस्से का मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बाण्उडस् के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)रायपुर

2. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक/भू.अ./2025/1395 दिनांक 03.11.2025 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया।

3. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की तथा मौका कब्जा संबंधी किसी प्रकार का एतराज जाहिर नहीं किया, अतः प्रारम्भिक डिक्री की पालना स्वरूप उक्तानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

4. अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	घासीराम पुत्र हजारी जाट सा. माण्ड का खेड़ा खातेदार	ग्राम मोखुन्दा (खाता संख्या 32)	63/2	2.82
		योग	**1**	**2.82**
2	1. इन्द्रा पुत्री रामलाल हिस्सा 2/9 जाट 2. उदयराम पुत्र लेहरू हिस्सा 1/12 जाट 3. उदी पुत्री लेहरू हिस्सा 1/12 जाट 4. गीता पुत्री लेहरू हिस्सा 1/12 जाट 5. देवीलाल पुत्र रामलाल हिस्सा 2/9 जाट रहन जीएसएस मोखुन्दा हिस्सा 2/9 6. नानी पुत्री लेहरू हिस्सा 1/12 जाट 7. शंकरी पत्नि रामलाल हिस्सा 2/9 जाट रहन जीएसएस मोखुन्दा हिस्सा 2/9	ग्राम मोखुन्दा (खाता संख्या 32)	63/3 63/1	0.45 8.02
		योग	**2**	**8.47**
3	सामलाती बदस्तुर	ग्राम मोखुन्दा (खाता संख्या 32)	63/4	0.04
		योग	**1**	**0.04**

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करे।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

निर्णय आज दिनांक 22/12/25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करूणा लाड़ोती (आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 98/2024 **दर्ज दिनांक 09.10.2024**

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :– 2024/241

अन्तर्गत धारा :– 53, 188 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. घासीराम पिता हजारी जाट निवासी माण्ड का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. उदयराम पिता लेहरू जाट निवासी माण्ड का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. इन्द्रादेवी पुत्री रामलाल जाट निवासी माण्ड का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. उदी पुत्री लेहरू जाट निवासी माण्ड का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गीता पुत्री लेहरू जाट निवासी माण्ड का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. देवीलाल पुत्र रामलाल जाट निवासी माण्ड का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. नानी पुत्री लेहरू जाट निवासी माण्ड का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. शंकरी पत्नि रामलाल जाट निवासी माण्ड का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. ग्राम सेवा सहकारी समिति जरिये व्यवस्थापक मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

:: अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::

उपस्थित

1. अमरसिंह चारण – अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 एकपक्षीय

निर्णय दिनांक : 22/12/25

डिक्री दिनांक :

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय रायपुर बहाजरी अधिवक्ता वादी **श्री अमरसिंह चारण व पैरोकार सरकार** हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 53** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	घासीराम पुत्र हजारी जाट सा. माण्ड का खेड़ा खातेदार	ग्राम मोखुन्दा (खाता संख्या 32)	63/2	2.82
		योग	**1**	**2.82**

सहायक कलक्टर

(एस.डी.ओ.) रायपुर

2	1. इन्द्रा पुत्री रामलाल हिस्सा 2/9 जाट 2. उदयराम पुत्र लेहरू हिस्सा 1/12 जाट 3. उदी पुत्री लेहरू हिस्सा 1/12 जाट 4. गीता पुत्री लेहरू हिस्सा 1/12 जाट 5. देवीलाल पुत्र रामलाल हिस्सा 2/9 जाट रहन जीएसएस मोखुन्दा हिस्सा 2/9 6. नानी पुत्री लेहरू हिस्सा 1/12 जाट 7. शंकरी पत्नि रामलाल हिस्सा 2/9 जाट रहन जीएसएस मोखुन्दा हिस्सा 2/9	ग्राम मोखुन्दा (खाता संख्या 32)	63/3 63/1	0.45 8.02
		योग	**2**	**8.47**
3	सामलाती बदस्तुर	ग्राम मोखुन्दा (खाता संख्या 32)	63/4	0.04
		योग	**1**	**0.04**

नीज ....Nil...............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ...... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22/12/25 को जारी किया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)